


FORM NO.111फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

गोपाललाल वर्गै० बनाम सरवती देवी वर्गै०

किरम मुकदमा-प्रा० पत्र कैवियट

मुकदमा नम्बर 137/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
29.08.2024	<p>प्रार्थी वकील श्री विक्रम सिंह बांकावत एड० के द्वारा विविधि प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148(1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 16.04.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया गया था। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148(1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान से सम्बन्धित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को पेश हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होर बाद तकमील दाखित दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;"> (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p>	

